न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 75/2019
प्रविष्टि दिनांक 18–9–2019

रामस्वरूप पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी ग्राम बारेड़ा पंचायत व पटवार हल्का बस्सी तहसील निवाई जिला– टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार निवाई दिनांक 16–8–2019 मिसल नम्बर 606/2019

उपस्थिति : (1) श्री बसंन्त कुमार जेन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 20–1–2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 16–8–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि किरम बारानी–3 में खसरा नम्बर 484 कुल रकबा 07–08 बीघा में से रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में मकान बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का दोषी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 3/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अपीलान्ट एंव उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट को दिनांक 9–12–2021 को लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु उनको द्वारा आज तक लिखित बहस पेश नही किये जाने के कारण अपील प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गुणवगुण आधार पर निर्णय किया जाना उचित [illegible] अपील में अंकित किया गया है कि अपीलान्ट के विरूद्व पटवारी हल्का ग्राम [illegible] कीय भूमि खसरा नम्बर 484 पर कब्जे की रिपोर्ट तहसीलदार निवाई के समक्ष पेश [illegible] गलत है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है बल्कि [illegible] जो विधि विधान के विपरीत है। इसलिए नायब [illegible] य दिनांक 16–8–2[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:02:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट तहसीलदार साहब के कार्यालय में दिनांक 13–8–2019 को उपस्थित हुआ था किन्तु कोई आगामी पेशी सुनवाई हेतु नहीं दी थी तथा अपीलान्ट की उपस्थिति दर्ज कर पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व में रख ली थी जिसके पश्चात प्रार्थी अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को न तो गवाह पेश करने का अवसर मिला ओर न ही हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–8–2019 निरस्त फरमाया जावे व 90 दिवस का सिविल कारावास निरस्त कर 3/रूपये की आरोपित शास्ति निरस्त फरमाई जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है, किन्तु उसके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलान्ट ने राजकीय भूमि किस्म बारानी–3 में खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में मकान बना कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1062/16 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में अंकित तथ्यों एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ अपीलान्ट ने राजकीय भूमि किस्म बारानी–3 में खसरा नम्बर 484 रकबा 0.02 बीघा वाके ग्राम बारेड़ा तह0 निवाई में मकान बना कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 1062/16 से बेदखल किया गया था जो पटवारी हल्का के बयान व रिपोर्ट से सिद्व है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निवाई का निर्णय दिनांक 16–8–2019 यथावत रखा [illegible] स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1[illegible] को खुले [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:02:09 IST
Reason: SelfAttested

चिन्मयी
(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते